

(नियम 26)

फर्द अहकाम

अज अदालत मुकाम जिला कलक्टर, भरतपुर
किस्म मुकदमा रेफरेन्स नम्बर 15/2019
सरकार तहसीलदार भरतपुर बनाम दुलीचन्द
अन्तर्गत धारा 82 एल.आर.एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नाम व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
17-01-25	<p>पत्रावली पेश हुई। राजकीय पैरोकार उपस्थित। अप्रार्थी अभिभाषक उपस्थित। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।</p> <p>पैरोकार सरकार ने अपने कथनों में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि गत आराजी खसरा नम्बर 993 रकबा 16 विस्वा हाल खसरा 2668/0.06 है0 कस्वा चक नम्बर 02 भरतपुर तहसील भरतपुर पर अप्रार्थीगण द्वारा अनुचित रूप से खातेदारी प्राप्त कर ली है। अप्रार्थीगण जरिये विरासत राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज हैं। विवादित आराजी नगर निगम/भरतपुर विकास प्राधिकारण की सीमाओं के अन्तर्गत स्थित है। पैरोकार सरकार का यह कथन है कि विवादित आराजी सी.एफ.सी.डी बहाव क्षेत्र में है। अप्रार्थी ने जलभराव क्षेत्र में हाल खसरा नम्बर हाल खसरा 2668/0.06 है0 कस्वा चक नम्बर 02 भरतपुर तहसील पर खातेदारी प्राप्त कर ली है जो अवैध है। माननीय उच्च न्यायालय अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अप्रार्थीगण की खातेदारी निरस्त किये जाने एवं विवादित आराजी पूर्व की भांति सिवायचक राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये जाने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाये जाने का निवेदन किया है।</p> <p>योग्य अभिभाषक अप्रार्थी0 ने अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते जाहिर किया कि विवादित आराजी सी.एफ.सी.डी. क्षेत्र में नहीं आती है, और नहीं यह भूमि पानी भराव क्षेत्र की है। योग्य अभिभाषक का कथन है कि विवादित आराजी को लेकर तहसीलदार भरतपुर ने पूर्व में एक रेफरेन्स पेश किया था जो राजस्व मण्डल अजमेर में रेवन्यू एलआर संख्या 1960/2013 दर्ज होकर राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय लिया जाना है। जब अप्रार्थीगण के खिलाफ विवादित आराजी को लेकर पूर्व से माननीय राजस्व मण्डल अजमेर रेफरेन्स विचाराधीन है तो वर्तमान में रेफरेन्स कार्यवाही चलने योग्य नहीं रहती है, इसलिये विचाराधीन रेफरेन्स खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। वर्तमान में तहसीलदार भरतपुर ने विवादित हाल हाल खसरा 2668/0.06 है0 कस्वा चक नम्बर 02 भरतपुर तहसील भरतपुर में स्थित हैं को सी.एफ. सी.डी बहाव क्षेत्र, माननीय उच्च न्यायालय अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में बताते हुये उक्त खसरा नम्बरान पर नियम विरुद्ध हो रहे अप्रार्थीगण के खातेदारी इन्द्राज निरस्त</p>	

जिला कलक्टर
भरतपुर

कराये जाने एवं पूर्व स्थिति सरकारी भूमि दर्ज कराये जाने हेतु दिनांक 22.8.2019 को इस न्यायालय में पेश किया गया है।

तहसीलदार भरतपुर ने पूर्व में भी एक रेफरेंस गत आराजी खसरा नम्बर 1009, 1010, 992, 990, 1007, 994, 993, से बने हाल आराजी खसरा नम्बर 2649/0.04, 2651/0.01, 2652/0.05, 2660/0.21, 261/.61, 2661/3443/0.09, 261/3452/0.07, 2648/0.03, 2662/0.14, 2644/0.04, 2645/0.01, 2646/0.016, 2669/0.11, 2668/0.06, कस्बा भरतपुर चक नं.2 नामान्तकरण संख्या 931 में अंकित उक्त खसरा नम्बरान को सी.एफसीडी बहाव क्षेत्र में बताते हुये, माननीय उच्च न्यायालय राज. जयपुर में जनहित याचिका संख्या 3273/96 श्रीनाथ शर्मा व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया के परिप्रेक्ष्य में उक्त खसरा नम्बरान पर अप्रार्थीगण के हो रहे खातेदारी इन्द्राज को कलजमन कराये जाने हेतु पेश किया गया था। जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.5.2012 को निम्न आदेश पारित किया गया।

".....प्रार्थना पत्र रेफरेंस उपयुक्त विवेचनानुसार स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत इस निवेदन के साथ प्रेषित किया जाता है कि नियमों के विपरीत स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 931 दिनांक 30.6.62 वाके कस्बा चक नं.2 भरतपुर में दर्ज खातेदारी इन्द्राज निरस्त किया जावे तथा इसके बाद हुये सभी विवादित आराजी के किये गये विक्रय वैयनामा (हस्तान्तरण) को भी शून्य घोषित किया जावे। इन्द्राजात कलमजन कर उक्त आराजी को राजकीय भूमि दर्ज किये जाने, इन्द्राजात को कलमजन कर उक्त आराजी को राजकीय भूमि दर्ज किये जाने की आज्ञा दी जावे। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय होने तक अप्रार्थीगण विवादित आराजी की मौका एवं रिकार्ड की यथार्थिथिति कायम रखी जावे। पक्षकारान माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दिनांक 7-8-2012 को उपस्थित हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार भरतपुर को भेजी जावे.....।"

तहसीलदार भरतपुर ने पुनः उन्ही खसरा नम्बरान को लेकर यह रेफरेंस पेश किया गया है, जिसमें पूर्व प्रेषित रेफरेंस में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बरान एवं अप्रार्थी0 के नाम विचाराधीन रेफरेंस में भी अंकित किये गये हैं।

पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रति प्रमाणित माननीय राजस्व मण्डल अजमेर आर्डरसीट 19.3.2013 प्रकरण रेफरेंस नम्बर एलआर 1960/2013 उनवानी राज0सरकार बनाम सूखा वगैरे के अवलोकन से जाहिर है कि इस न्यायालय द्वारा प्रेषित रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेंस नम्बर एलआर 1960/2013 पर दर्ज रजिस्टर है और आज भी प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में उन्ही खसरा नम्बरान एवं उन्हीं पक्षकारान को लेकर तहसीलदार भरतपुर

जिला कलक्टर
मत्तपुर

द्वारा पेश किये गये विचाराधीन नये रेफरेन्स कार्यवाही को इसी स्टेज पर ड्राप किया जाना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विचाराधीन रेफरेन्स को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन रेफरेन्स के परिप्रेक्ष्य में इसी स्टेज पर ड्राप किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार भरतपुर को प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन रेफरेन्स एल.आर संख्या 1960/2013 जिला भरतपुर उनवानी राज.सरकार बनाम सुखा वगे0 में राजस्व मण्डल में आगामी तारीख पेशी 18.02.2025 नियत है। जिसमें तहसीलदार भरतपुर प्रभावी पैरवी किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।


जिला कलक्टर
भरतपुर